Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (मुकाम) मारवाड़ जंक्शन

मोहनसिंह पुत्र गुमानसिंह पुरोहित इत्यादि बनाम सत्यपालसिंह वगैरा वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि० 0-39-R-1-2 151 CPC नं. 36/16 सन् गैरमुमकिन 2

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए।
24.9.16	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि० O-39-R-1-2, 151 CPC के तहत इस आशय का पेश किया कि " खसरा मौजा ईसाली के खसरा नं 239, 241, 246, 243, 244, की प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें व्यक्ति के जन्म से ही उसके अधिकार निहित हो जाते है। चक खतौनी गांव ईसाली संवत् 2006 के खाता सं० 209 में रतनसिंह गुमानसिंह पी० मेनासिंह ½ तथा किशोरसिंह जवानसिंह का ½ हिस्सा दर्ज है। खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2010 से 13 में खाता सं० 233 मे रतनसिंह गुमानसिंह पी० मेनासिंह का ½ एवं किशोरसिंह पी० श्री जुवानसिंह पुरोहित ½ हिस्सा दर्ज है लेकिन वरवक्त सेटलमेंट ऑपरेशन प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि का इन्द्राज बिना किसी आदेश व अधिकार के नहीं हुआ है जबकि सेटलमेंट विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है अप्रार्थीगण अब प्रार्थी का नाम का इन्द्राज नहीं होने से प्रार्थी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि को बेदखल करने धमकियां दे रहे है, कि	

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज
18/11/19	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी को शेष अप्रार्थीगण के P/F समन्स डाक खर्च सहित पेश करने हेतु बाद विवश का सर्वथा अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली आइंदा दिनांक 6/12/19 को मूल वाद के साथ पेश हो। सहायक कलेक्टर मा.ज.
6/12/19	व... आज ... मण्डल द्वारा न्यायालय में अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया गया है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 9/12/19 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मा.जं.
9/12/19	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने P/F समन्स आदिनांक तक पेश नहीं किये जबकि दिनांक 18/11/19 को पेश करने बाबत बाद विवश का सर्वथा अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है। P/F समन्स पेश नहीं करने पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जानी संभव नहीं है अतः इस्तगासा प्रकरण को P/F समन्स पेशी के अभाव में अन्तर्गत O-9-R-5 CPC के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 9/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर मा.ज. मारवाड़ जंक्शन

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2020.01.01 14:11:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: